

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(अमेठी, बस्ती, चित्रकूट, गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, शामली, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर को छोड़कर)

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2018-19/76/

दिनांक: 25.01.2019

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Health & Wellness Centre (HWC) के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जन समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु Health & Wellness Centre की स्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल 400 (सूची संलग्न) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में सुदृढीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित 05 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जनपद वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर, गोरखपुर एवं प्रयागराज के 01-01) को Health & Wellness Centre में सुदृढीकृत किया जा रहा है। Health & Wellness Centre को संचालित करने हेतु निम्न गतिविधियाँ की जाएगी—

1. **इन्फ्रास्ट्रक्चर** —नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को Health & Wellness Centre के रूप में सुदृढ किया जाएगा। प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कक्ष को Wellness Room के रूप में विकसित किया जाएगा। उक्त कक्ष में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर हेल्थ प्रमोशन से सम्बंधित गतिविधियाँ जैसे योग आदि के सम्पादन हेतु भी स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त हेतु राज्य स्तर से विकसित चेकलिस्ट पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त चेकलिस्ट के अनुसार अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहयोग से गैप एनालिसिस करायी जाएगी। गैप एनालिसिस के आधार पर आधारभूत संरचना (लघु मरम्मत, फर्नीचर, कक्ष विभाजन, बिजली एवं टेलीफोन से सम्बंधित कार्य, रनिंग वाटर, उपकरण, लॉजिस्टिक, योग हेतु चटाई एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अन्य कार्य) एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Internal Branding & External Branding में उल्लेखित गतिविधियों से सम्बंधित कार्य मानकानुसार, नियमानुसार एवं वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कराया जायेगा।

उपरोक्त हेतु यदि किसी अन्य मद से बजट का उपयोग किया गया हो तो इस मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग न किया जाय।

2. **मानव संसाधन** — Health & Wellness Centre में कम से कम 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी, 01 स्टॉफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट एवं 01 लैब टेक्नेशियन की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंधित क्षेत्र की समस्त आशायें एवं ए0एन0एम0 को भी Health & Wellness Centre टीम में सम्मिलित किया जायेगा।

3. **जाँचें** — Health & Wellness Centre में कम से कम निम्न 12 प्रकार की जाँचें उपलब्ध कराई जायेंगी—

S.No.	Lab Test
1	Haemoglobin
2	TLC, DLC, ESR, Peripheral Smear
3	Blood grouping
4	Urine Pregnancy Rapid Test
5	Urine Dipstick
6	Blood Glucose & HBA ₁ C
7	Malaria Smear, Rapid Diagnostic Kit (RDK)

8	Serology for vector borne disease-Dengue, Chikungunya, Filariasis,
9	Rapid Syphilis Test
10	HIV Serology: Rapid Test
11	Hepatitis testing- basic HBs Ag- (more advanced at a higher hub)
12	TB Microscopy- AFB Smear

उक्त सूची में Health & Wellness Centre पर उपलब्ध सेवाओं के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

4. **औषधि** – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित किये जाने वाले समस्त Health & Wellness Centre में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ई0डी0एल0 सूची में अंकित औषधियों के अतिरिक्त एन्टी हाइपरटेन्सिव, एन्टी डायबेटिक एवं एन्टी इपिलेप्टिक औषधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। उक्त सूची को Health & Wellness Centre में उपलब्ध सेवाओं के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।
5. **आई0टी0 सिस्टम** – प्रत्येक Health & Wellness Centre के लिए 01 कम्प्यूटर तथा ए0एन0एम0 हेतु टैबलेट एवं इन्टरनेट कनेक्शन हेतु प्राविधान किया गया है, जिसके स्पेशिफिकेशन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ANMOL एप्लीकेशन/आर0सी0एच0 पोर्टल एवं Health & Wellness Centre हेतु विकसित एन0सी0डी0 मॉड्यूल आदि का संचालन किया जायेगा।
6. **आई0ई0सी0** – प्रत्येक Health & Wellness Centre हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
7. **प्रशिक्षण** – Health & Wellness Centre पर तैनात चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ नर्स को गैर संचारी रोगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी ए0एन0एम0 एवं आशाओं को भी गैर संचारी रोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ए0एन0एम0 को ANMOL एवं एन0सी0डी0 एप्लीकेशन में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
8. **समुदाय स्तर की गतिविधियाँ**– समुदाय को विस्तारित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने एवं स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले समस्त परिवारों को सूचीबद्ध करते हुए उनका पंजीकरण किया जाये। इस हेतु क्षेत्र में कार्य कर रही आशाओं द्वारा क्षेत्र के समस्त परिवारों का सर्वे कर परिवारों को पंजीकृत कर फैमिली फोल्डर में दर्ज किया जाएगा एवं परिवार के 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष का Community Base Assessment Checklist (C-BAC) फार्म भरा जायेगा, जिसके द्वारा गैर संचारी रोगों का रिस्क असेसमेंट किया जायेगा।

आशाओं को फैमिली फोल्डर, (C-BAC) फार्म एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। यह फैमिली फोल्डर Health & Wellness Centre पर रक्षित किये जायेंगे। आशा द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान भरे हुए C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर ए0एन0एम0 के पास जमा किये जायेंगे। ए0एन0एम0 द्वारा अपने टैबलेट पर एन0सी0डी0 मोबाईल एप्लीकेशन में उक्त C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर अंकित किया जायेगा। आशाओं द्वारा चरणबद्ध रूप से अपने क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष जिनका C-BAC फार्म भरा है, का गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग हेतु Health & Wellness Centre पर संदर्भित किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके क्षेत्र के समस्त 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुषों की स्क्रीनिंग डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप के लिए वर्ष में एक बार एवं तीनों प्रकार के कैंसरों की स्क्रीनिंग (पुरुषों के लिए केवल ओरल कैंसर स्क्रीनिंग) 5 वर्ष में एक बार अवश्य करा लिया जाये। C-BAC फार्म हेतु पृथक से आशा के प्रशिक्षण उपरान्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

स्क्रीनिंग के पश्चात खोजे गये गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की जाँच, उपचार एवं संदर्भन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। यदि किसी रोगी द्वारा इलाज के दौरान दवाई नियमित रूप से नहीं प्राप्त की जाती है तो उन्हें पुनः Health & Wellness Centre पर लाने की जिम्मेदारी आशा एवं सम्बन्धित ए0एन0एम0 की होगी। आशा द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से विभिन्न गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की रोगी समिति (Patient Groups) बनाये जायेंगे, जिनकी समय-समय पर बैठके भी कराई जायेगी। इन बैठकों में सदस्यों द्वारा अपने अनुभव साझा किये जायेंगे एवं नियमित रूप से औषधि का सेवन करने से होने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की जायेगी। इससे अन्य लोगों को भी स्क्रीनिंग कराने हेतु प्रेरणा मिलेगी।

आशाओं द्वारा क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को अधिक सुदृढ़ कराया जायेगा, जिससे शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचायी जा सके। इस हेतु आशाओं द्वारा नियमित रूप से गृह भ्रमण कर लोगों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों पर दी जाने वाली सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

9. आशा हेतु परफारमेंस बेस्ड इंसेन्टिव – Health & Wellness Centre के क्षेत्र की आशाओं को अपने क्षेत्र में निम्न लक्ष्य को प्राप्त करने पर रू0 1000/- प्रति माह की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।

गतिविधि	लाभार्थी की आयु	प्रारंभिक जाँच की आवृत्ति	आपेक्षित वार्षिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)	आपेक्षित मासिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)
उच्च रक्तचाप	30 वर्ष तथा इससे अधिक	वर्ष में एक बार	370 - 925	31 - 78
मधुमेह	30 वर्ष तथा इससे अधिक	वर्ष में एक बार	370 - 925	31 - 78
स्तन कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	181 - 453	3 - 8
मुख का कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	370 - 925	6 - 15
बच्चेदानी के मुँह का कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	181 - 453	3 - 8
परिवार सर्वे (C-BAC फार्म अंकन सहित)	अनुमानतः 200 परिवार	वर्ष में एक बार	200 - 500	17- 42

आशाओं को देय प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा Health & Wellness Centre के चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। आशा द्वारा अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आपेक्षित मासिक लक्ष्य में से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 1000/- एवं 30-59 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 500/- की धनराशि दी जायेगी। अपेक्षित मासिक लक्ष्य से 30 प्रतिशत से कम कार्य करने पर कोई भी प्रतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी। आशा द्वारा उक्त धनराशि का अंकन वाउचर में अन्य प्रतिपूर्ति राशि में अंकित कर भुगतान हेतु ए0एन0एम0 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्यक केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर प्रस्तुत किया जाएगा जिसका भुगतान आशा को दिये जाने वाले अन्य भुगतानों के साथ किया जाएगा। इसके लिए आशा के प्रशिक्षण उपरान्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

10. सेवाएं – Health & Wellness Centre में निम्न सेवाएं प्रदान की जायें-

- गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी सेवाएं-** Health & Wellness Centre क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल जैसे-शीघ्र पंजीकरण, एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध कराया जाना, वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच, ब्लड शुगर, पेट की जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं संदर्भन आदि की सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त टी0टी0, आयरन एवं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराया जायेगा। जिन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में प्रसव की सुविधा है वहाँ प्रसव कक्षाओं को सुदृढ़ किया जाएगा एवं नवजात तथा माताओं सम्बन्धी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। प्रसव कक्ष में मानकानुसार न्यूबार्न केयर कॉर्नर की स्थापना भी की जाएगी।
- नवजात एवं शिशुओं से सम्बन्धित सेवाएं-** शिशुओं को पूर्ण टीकाकरण, डायरिया एवं निमोनिया की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन, विटामिन-ए सप्लीमेंटेशन आदि सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवजात एवं शिशुओं का वनज, कुपोषण का चिन्हिकरण एवं संदर्भन किया जायेगा।
- बाल्यकाल एवं किशोरावस्था सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल-** 1-5 वर्ष के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण डायरिया एवं निमोनिया से बचाव-उपचार एवं संदर्भन, बच्चों के विकास सम्बन्धी समस्याओं का चिन्हीकरण व संदर्भन एवं बच्चों की सामान्य बीमारियों की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। किशोरावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव सम्बन्धी सलाह तथा किशोरियों को आयरन की गोलियाँ एवं मासिक धर्म सम्बन्धी सलाह एवं संदर्भन किया जाएगा।

- IV. परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधन एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें— Health & Wellness Centre पर आने वाले समस्त लक्षित दम्पतियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जायेगा। परिवार नियोजन के साधन जैसे कण्डोम, ओरल पिल्स, इमरजेन्सी पिल्स, छाया एवं अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं आईयूसीआईडीए लगाने की नियमित सुविधा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त नसबन्दी एवं आईयूसीआईडीए के लाभार्थियों के फॉलो-अप की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। गर्भपात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह, फॉलो-अप एवं संदर्भन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आरटीआई/एसटीआई एवं अन्य स्त्री रोग सम्बन्धी जाँच एवं संदर्भन किया जाएगा।
- V. सामान्य संचारी रोगों का प्रबन्धन एवं सामान्य बीमारियों हेतु बाह्य रोगियों का इलाज— संचारी रोग जैसे डायरिया, डीसेन्टरी, टायफाइड, हैपेटाइटिस, रैबीज, कृमि रोग की पहचान एवं प्रबन्धन। सामान्य बीमारियाँ जैसे— बुखार, पेट दर्द, दस्त, जोड़ दर्द, त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का प्राथमिक उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन किया जाएगा।
- VI. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचारी रोगों का प्रबन्धन—क्षय रोग की पहचान, संदर्भन तथा उपचार एवं default retrieval सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाएंगी। मलेरिया, फाइलेरिया, जेई, डेंगू, कालाजार, एचआईवी एवं अन्य संचारी रोगों की जाँच, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन करना तथा दीर्घकालिक बीमारियों जैसे क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग के रोगियों को समय से दवाईयाँ उपलब्ध कराया जाएगा।
- VII. गैर संचारी रोगों की जाँच, बचाव, रोकथाम एवं प्रबन्धन— 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिलाओं की प्रमुख गैर संचारी रोग जैसे—डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, तीन प्रकार के कैंसर (ओरल, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट) की प्रारम्भिक जाँच, उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। गैर संचारी रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलो-अप, default retrieval एवं संदर्भन किया जाएगा।
11. **वित्तीय व्यवस्था**— नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को Health & Wellness Centre रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक Health & Wellness Centre हेतु कुल धनराशि रु० 2.22 लाख प्रति Health & Wellness Centre की दर से की स्वीकृत की गयी है (जनपदवार फाट संलग्न), जो निम्नानुसार है —

FMR Code	UPHC	Non Recurring (in Rs.)	Recurring (in Rs.)	Remarks
U.6.6	IT support	1,00,000	10,000	01 Computer and 05 Tablets
U.5.4	Infrastructure Strengthening of PHC to H&WC	1,00,000		For wellness room
U.6.4.5	Lab		12,000	@ Rs 4000 pm per HWC for 3 months
	Total	2,00,000	22,000	@ Rs 2.22 Lakh per HWC for 3 months

12. **मूल्यांकन एवं अनुश्रवण** — Health & Wellness Centre द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी एनओएचएम/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर व अन्य द्वारा नियमित रूप से की जायेंगी। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर Health & Wellness Centre में प्रदान की जा रही सेवाओं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट केन्द्र द्वारा संदर्भित रोगियों के विषय में, एचएमआईएस एवं संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। उक्त बैठक में Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से Health & Wellness Centre के सम्बन्ध में चर्चा किया जाना चाहिए।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई0ट्रान्सफर द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेक्टर संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2018-19/76/ 11068-10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश।
5. सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. सम्बंधित जनदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(अमेठी, बस्ती, चित्रकूट, गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, शामली, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर को छोड़कर)

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2018-19/76/ 11068

दिनांक: 25.01.2019

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Health & Wellness Centre (HWC) के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जन समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु Health & Wellness Centre की स्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल 400 (सूची संलग्न) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित 05 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जनपद वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर, गोरखपुर एवं प्रयागराज के 01- 01) को Health & Wellness Centre में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। Health & Wellness Centre को संचालित करने हेतु निम्न गतिविधियाँ की जाएगी—

1. **इन्फ्रास्ट्रक्चर** —नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को Health & Wellness Centre के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कक्ष को Wellness Room के रूप में विकसित किया जाएगा। उक्त कक्ष में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर हेल्थ प्रमोशन से सम्बंधित गतिविधियाँ जैसे योग आदि के सम्पादन हेतु भी स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त हेतु राज्य स्तर से विकसित चेकलिस्ट पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त चेकलिस्ट के अनुसार अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहयोग से गैप एनालिसिस करायी जाएगी। गैप एनालिसिस के आधार पर आधारभूत संरचना (लघु मरम्मत, फर्नीचर, कक्ष विभाजन, बिजली एवं टेलीफोन से सम्बंधित कार्य, रनिंग वाटर, उपकरण, लॉजिस्टिक, योग हेतु चटाई एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अन्य कार्य) एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Internal Branding & External Branding में उल्लेखित गतिविधियों से सम्बंधित कार्य मानकानुसार, नियमानुसार एवं वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कराया जायेगा।

उपरोक्त हेतु यदि किसी अन्य मद से बजट का उपयोग किया गया हो तो इस मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग न किया जाय।

2. **मानव संसाधन** — Health & Wellness Centre में कम से कम 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी, 01 स्टॉफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट एवं 01 लैब टेक्नेशियन की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंधित क्षेत्र की समस्त आशायें एवं ए0एन0एम0 को भी Health & Wellness Centre टीम में सम्मिलित किया जायेगा।

3. **जाँचें** — Health & Wellness Centre में कम से कम निम्न 12 प्रकार की जाँचें उपलब्ध कराई जायेंगी—

S.No.	Lab Test
1	Haemoglobin
2	TLC, DLC, ESR, Peripheral Smear
3	Blood grouping
4	Urine Pregnancy Rapid Test
5	Urine Dipstick
6	Blood Glucose & HBA ₁ C
7	Malaria Smear, Rapid Diagnostic Kit (RDK)

8	Serology for vector borne disease-Dengue, Chikungunya, Filariasis,
9	Rapid Syphilis Test
10	HIV Serology: Rapid Test
11	Hepatitis testing- basic HBs Ag- (more advanced at a higher hub)
12	TB Microscopy- AFB Smear

उक्त सूची में Health & Wellness Centre पर उपलब्ध सेवाओं के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

4. **औषधि** – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित किये जाने वाले समस्त Health & Wellness Centre में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ई0डी0एल0 सूची में अंकित औषधियों के अतिरिक्त एन्टी हाइपरटेन्सिव, एन्टी डायबेटिक एवं एन्टी इपिलेप्टिक औषधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। उक्त सूची को Health & Wellness Centre में उपलब्ध सेवाओं के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।
5. **आई0टी0 सिस्टम** – प्रत्येक Health & Wellness Centre के लिए 01 कम्प्यूटर तथा ए0एन0एम0 हेतु टैबलेट एवं इन्टरनेट कनेक्शन हेतु प्राविधान किया गया है, जिसके स्पेशिफिकेशन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ANMOL एप्लीकेशन/आर0सी0एच0 पोर्टल एवं Health & Wellness Centre हेतु विकसित एन0सी0डी0 मॉड्यूल आदि का संचालन किया जायेगा।
6. **आई0ई0सी0** – प्रत्येक Health & Wellness Centre हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
7. **प्रशिक्षण** – Health & Wellness Centre पर तैनात चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ नर्स को गैर संचारी रोगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी ए0एन0एम0 एवं आशाओं को भी गैर संचारी रोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ए0एन0एम0 को ANMOL एवं एन0सी0डी0 एप्लीकेशन में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
8. **समुदाय स्तर की गतिविधियाँ**– समुदाय को विस्तारित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने एवं स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले समस्त परिवारों को सूचीबद्ध करते हुए उनका पंजीकरण किया जाये। इस हेतु क्षेत्र में कार्य कर रही आशाओं द्वारा क्षेत्र के समस्त परिवारों का सर्वे कर परिवारों को पंजीकृत कर फैमिली फोल्डर में दर्ज किया जाएगा एवं परिवार के 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष का Community Base Assessment Checklist (C-BAC) फार्म भरा जायेगा, जिसके द्वारा गैर संचारी रोगों का रिस्क असेसमेंट किया जायेगा।

आशाओं को फैमिली फोल्डर, (C-BAC) फार्म एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। यह फैमिली फोल्डर Health & Wellness Centre पर रक्षित किये जायेंगे। आशा द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान भरे हुए C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर ए0एन0एम0 के पास जमा किये जायेंगे। ए0एन0एम0 द्वारा अपने टैबलेट पर एन0सी0डी0 मोबाईल एप्लीकेशन में उक्त C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर अंकित किया जायेगा। आशाओं द्वारा चरणबद्ध रूप से अपने क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष जिनका C-BAC फार्म भरा है, का गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग हेतु Health & Wellness Centre पर संदर्भित किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके क्षेत्र के समस्त 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुषों की स्क्रीनिंग डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप के लिए वर्ष में एक बार एवं तीनों प्रकार के कैंसरों की स्क्रीनिंग (पुरुषों के लिए केवल ओरल कैंसर स्क्रीनिंग) 5 वर्ष में एक बार अवश्य करा लिया जाये। C-BAC फार्म हेतु पृथक से आशा के प्रशिक्षण उपरान्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

स्क्रीनिंग के पश्चात खोजे गये गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की जाँच, उपचार एवं संदर्भन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। यदि किसी रोगी द्वारा इलाज के दौरान दवाई नियमित रूप से नहीं प्राप्त की जाती है तो उन्हें पुनः Health & Wellness Centre पर लाने की जिम्मेदारी आशा एवं सम्बन्धित ए0एन0एम0 की होगी। आशा द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से विभिन्न गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की रोगी समिति (Patient Groups) बनाये जायेंगे, जिनकी समय-समय पर बैठके भी कराई जायेगी। इन बैठकों में सदस्यों द्वारा अपने अनुभव साझा किये जायेंगे एवं नियमित रूप से औषधि का सेवन करने से होने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की जायेगी। इससे अन्य लोगों को भी स्क्रीनिंग कराने हेतु प्रेरणा मिलेगी।

आशाओं द्वारा क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को अधिक सुदृढ़ कराया जायेगा, जिससे शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचायी जा सके। इस हेतु आशाओं द्वारा नियमित रूप से गृह भ्रमण कर लोगों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों पर दी जाने वाली सेवाएँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

9. आशा हेतु परफारमेंस बेस्ड इंसेन्टिव – Health & Wellness Centre के क्षेत्र की आशाओं को अपने क्षेत्र में निम्न लक्ष्य को प्राप्त करने पर रू0 1000/– प्रति माह की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।

गतिविधि	लाभार्थी की आयु	प्रारंभिक जाँच की आवृत्ति	आपेक्षित वार्षिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)	आपेक्षित मासिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)
उच्च रक्तचाप	30 वर्ष तथा इससे अधिक	वर्ष में एक बार	370 - 925	31 - 78
मधुमेह	30 वर्ष तथा इससे अधिक	वर्ष में एक बार	370 - 925	31 - 78
स्तन कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	181 - 453	3 - 8
मुख का कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	370 - 925	6 - 15
बच्चेदानी के मुँह का कैंसर	30-65 वर्ष	पांच वर्ष में एक बार	181 - 453	3 - 8
परिवार सर्वे (C-BAC फार्म अंकन सहित)	अनुमानतः 200 परिवार	वर्ष में एक बार	200 - 500	17- 42

आशाओं को देय प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा Health & Wellness Centre के चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। आशा द्वारा अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आपेक्षित मासिक लक्ष्य में से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 1000/– एवं 30-59 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 500/– की धनराशि दी जायेगी। अपेक्षित मासिक लक्ष्य से 30 प्रतिशत से कम कार्य करने पर कोई भी प्रतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी। आशा द्वारा उक्त धनराशि का अंकन वाउचर में अन्य प्रतिपूर्ति राशि में अंकित कर भुगतान हेतु ए0एन0एम0 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्यक केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर प्रस्तुत किया जाएगा जिसका भुगतान आशा को दिये जाने वाले अन्य भुगतानों के साथ किया जाएगा। इसके लिए आशा के प्रशिक्षण उपरान्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

10. सेवाएं – Health & Wellness Centre में निम्न सेवाएं प्रदान की जायें—

- गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी सेवाएं— Health & Wellness Centre क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल जैसे—शीघ्र पंजीकरण, एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध कराया जाना, वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच, ब्लड शुगर, पेट की जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं संदर्भन आदि की सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त टी0टी0, आयरन एवं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराया जायेगा। जिन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में प्रसव की सुविधा है वहाँ प्रसव कक्षों को सुदृढ़ किया जाएगा एवं नवजात तथा माताओं सम्बन्धी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। प्रसव कक्ष में मानकानुसार न्यूबार्न केयर कॉर्नर की स्थापना भी की जाएगी।
- नवजात एवं शिशुओं से सम्बन्धित सेवाएं— शिशुओं को पूर्ण टीकाकरण, डायरिया एवं निमोनिया की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन, विटामिन-ए सप्लीमेंटेशन आदि सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवजात एवं शिशुओं का वजन, कुपोषण का चिन्हिकरण एवं संदर्भन किया जायेगा।
- बाल्यकाल एवं किशोरावस्था सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल— 1-5 वर्ष के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण डायरिया एवं निमोनिया से बचाव—उपचार एवं संदर्भन, बच्चों के विकास सम्बन्धी समस्याओं का चिन्हीकरण व संदर्भन एवं बच्चों की सामान्य बीमारियों की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। किशोरावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव सम्बन्धी सलाह तथा किशोरियों को आयरन की गोलियाँ एवं मासिक धर्म सम्बन्धी सलाह एवं संदर्भन किया जाएगा।

- IV. परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधन एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें— Health & Wellness Centre पर आने वाले समस्त लक्षित दम्पतियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जायेगा। परिवार नियोजन के साधन जैसे कण्डोम, ओरल पिल्स, इमरजेन्सी पिल्स, छाया एवं अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं आईयूसीआईडीए लगाने की नियमित सुविधा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त नसबन्दी एवं आईयूसीआईडीए के लाभार्थियों के फॉलो-अप की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। गर्भपात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह, फालो-अप एवं संदर्भन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आरटीआई/एसटीआई एवं अन्य स्त्री रोग सम्बन्धी जाँच एवं संदर्भन किया जाएगा।
- V. सामान्य संचारी रोगों का प्रबन्धन एवं सामान्य बीमारियों हेतु बाह्य रोगियों का इलाज— संचारी रोग जैसे डायरिया, डीसेन्टरी, टायफाइड, हैपेटाइटिस, रैबीज, कृमि रोग की पहचान एवं प्रबन्धन। सामान्य बीमारियाँ जैसे— बुखार, पेट दर्द, दस्त, जोड़ दर्द, त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का प्राथमिक उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन किया जाएगा।
- VI. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचारी रोगों का प्रबन्धन—क्षय रोग की पहचान, संदर्भन तथा उपचार एवं default retrieval सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाएंगी। मलेरिया, फाइलेरिया, जेई, डेंगू, कालाजार, एचआईवी एवं अन्य संचारी रोगों की जाँच, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन करना तथा दीर्घकालिक बीमारियों जैसे क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग के रोगियों को समय से दवाईयाँ उपलब्ध कराया जाएगा।
- VII. गैर संचारी रोगों की जाँच, बचाव, रोकथाम एवं प्रबन्धन— 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिलाओं की प्रमुख गैर संचारी रोग जैसे—डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, तीन प्रकार के कैंसर (ओरल, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट) की प्रारम्भिक जाँच, उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। गैर संचारी रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलो-अप, default retrieval एवं संदर्भन किया जाएगा।

11. **वित्तीय व्यवस्था**— नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को Health & Wellness Centre रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक Health & Wellness Centre हेतु कुल धनराशि ₹ 2.22 लाख प्रति Health & Wellness Centre की दर से की स्वीकृत की गयी है (जनपदवार फाट संलग्न), जो निम्नानुसार है —

FMR Code	UPHC	Non Recurring (in Rs.)	Recurring (in Rs.)	Remarks
U.6.6	IT support	1,00,000	10,000	01 Computer and 05 Tablets
U.5.4	Infrastructure Strengthening of PHC to H&WC	1,00,000		For wellness room
U.6.4.5	Lab		12,000	@ Rs 4000 pm per HWC for 3 months
	Total	2,00,000	22,000	@ Rs 2.22 Lakh per HWC for 3 months

12. **मूल्यांकन एवं अनुश्रवण** — Health & Wellness Centre द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी एनओएचएम/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर व अन्य द्वारा नियमित रूप से की जायेंगी। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर Health & Wellness Centre में प्रदान की जा रही सेवाओं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट केन्द्र द्वारा संदर्भित रोगियों के विषय में, एचएमआईएस एवं संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। उक्त बैठक में Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से Health & Wellness Centre के सम्बन्ध में चर्चा किया जाना चाहिए।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान ईट्रान्सफर द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेक्टर संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2018-19/76/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश।
5. सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. सम्बंधित जनदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक